



प्रेसनोट / सराहनीय कार्य

(पत्रांक-21/2021 दिनांक 21.01.2021)

दिनांक- 21.01.2021 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य

बेटे और माँ की हत्या करने वाले अभियुक्तगण को पुलिस ने किया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 20.01.2021 को थाना कसया पुलिस टीम, स्वाट टीम व सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा मु0अ0सं0 855/2020 धारा 302/452/34 IPC व मु0अ0सं0 0060/2021 धारा 302/201/120B IPC में वांछित अभियुक्तगण 1. संजय पाण्डेय पुत्र रामवृक्ष पाण्डेय निवासी पिपरा वार्ड नं0 8 थाना कसया जनपद कुशीनगर 2.सूर्यभान उर्फ मोनू तिवारी पुत्र वीरेन्द्र तिवारी निवासी मैनपुर टोला शिवपट्टी थाना कसया जनपद कुशीनगर 3.रामप्यारे प्रसाद पुत्र शिवनाथ प्रसाद निवासी पिपरा वार्ड नं0 8 थाना कसया जनपद कुशीनगर 4.श्यामसुन्दर शर्मा उर्फ अन्ना पुत्र लच्छन शर्मा निवासी पिपरा थाना कसया जनपद कुशीनगर को कसया से ग्राम मदनपुर की तरफ जाने वाली सड़क स्थित पुलिया के पास से समय 19.10 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के निशानदेही पर दोनों घटना में प्रयुक्त आला कल्ल गड़ासी व चाकू बरामद किया गया। गिरफ्तारी के बाद अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्तों द्वारा घटना कारित करने का संक्षिप्त विवरण-

थाना कसया जनपद कुशीनगर के ग्राम पिपरा वार्ड नं0 08 निवासी श्यामसुन्दर शर्मा उर्फ अन्ना पुत्र लच्छन शर्मा का अपने ही गांव के चन्दन शर्मा पुत्र स्व0 जटा शर्मा व उसकी माँ बतीसा देवी से जमीनी विवाद चल रहा था तथा उसी गांव के संजय पाण्डेय पुत्र रामवृक्ष पाण्डेय निवासी पिपरा वार्ड नं0 8 थाना कसया जनपद कुशीनगर का चन्दन शर्मा की भाभी से अवैध सम्बंध था जिसका चन्दन शर्मा व उसकी माँ विरोध करते थे। जमीनी विवाद की रंजिश के कारण श्याम सुन्दर उर्फ अन्ना शर्मा ने संजय पाण्डेय के साथ मिलकर चन्दन शर्मा की हत्या की साजिश रची तथा संजय पाण्डेय अपने मौसरे भाई सूर्यभान उर्फ मोनू तिवारी पुत्र वीरेन्द्र तिवारी निवासी मैनपुर टोला शिवपट्टी थाना कसया जनपद कुशीनगर तथा अपने गांव के रामप्यारे प्रसाद पुत्र शिवनाथ प्रसाद निवासी पिपरा वार्ड नं0 8 थाना कसया जनपद कुशीनगर के साथ मिलकर स्थान अभिनायकपुर बरवा जंगल सिवान की नहर पुलिया के पास नहर की पट्टी पर चन्दन शर्मा की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दिये तथा लाश (सिर व धड़ अलग अलग) नहर के पानी में फेंक दिये। उस समय शव की पहचान नहीं हो पायी थी। शव का पीएम कराया गया। बाद में PM रिपोर्ट की जांच के क्रम में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 60/21 धारा 302,201,120 B भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। संजय पाण्डेय द्वारा दबंगई के बल पर बतीसा देवी की बहू से अवैध सम्बंध रखने के कारण बतीसा देवी द्वारा विरोध करने तथा अपने लड़के चन्दन शर्मा को गायब करने तथा उसकी हत्या में संजय पाण्डेय की भूमिका होने की शंका करने पर संजय पाण्डेय द्वारा अपने मौसरे भाई सूर्यभान उर्फ मोनू तिवारी पुत्र वीरेन्द्र तिवारी तथा अपने गांव के रामप्यारे प्रसाद पुत्र शिवनाथ प्रसाद के साथ मिलकर दिनांक 9/10.12.2020 की रात्रि में बतीसा देवी की घर में घुसकर गला रेतकर हत्या कर दिये। जिसके सम्बंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 855/2020 धारा 302/452/34 भादवि पंजीकृत किया गया था। घटना के अनावरण हेतु थानाध्यक्ष कसया,स्वाट टीम तथा सर्विलांस टीम को लगाया गया था। पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिरी सूचना पर अभियुक्तगणों को गिरफ्तार किया गया तथा उनके निशादेही पर हत्या की घटना में प्रयुक्त आलाकल्ल की बरामदगी की गयी।

गिरफ्तार वांछित अभियुक्तगण-

मु0अ0सं0 60/2021 धारा 302/201/120B IPC

- 1.संजय पाण्डेय पुत्र रामवृक्ष पाण्डेय निवासी पिपरा वार्ड नं0 8 थाना कसया जनपद कुशीनगर
- 2.सूर्यभान उर्फ मोनू तिवारी पुत्र वीरेन्द्र तिवारी निवासी मैनपुर टोला शिवपट्टी थाना कसया जनपद कुशीनगर
- 3.रामप्यारे प्रसाद पुत्र शिवनाथ प्रसाद निवासी पिपरा वार्ड नं0 8 थाना कसया जनपद कुशीनगर
- 4.श्यामसुन्दर शर्मा उर्फ अन्ना पुत्र लच्छन शर्मा निवासी पिपरा वार्ड नं0 8 थाना कसया जनपद कुशीनगर

मु0अ0सं0 855/2020 धारा 302/452/34 IPC

- 1.संजय पाण्डेय पुत्र रामवृक्ष पाण्डेय निवासी पिपरा वार्ड नं0 8 थाना कसया जनपद कुशीनगर
- 2.सूर्यभान उर्फ मोनू तिवारी पुत्र वीरेन्द्र तिवारी निवासी मैनपुर टोला शिवपट्टी थाना कसया जनपद कुशीनगर
- 3.रामप्यारे प्रसाद पुत्र शिवनाथ प्रसाद निवासी पिपरा वार्ड नं0 8 थाना कसया जनपद कुशीनगर

अभियुक्त संजय पाण्डेय पुत्र रामवृक्ष पाण्डेय निवासी पिपरा वार्ड नं0 8 का आपराधिक इतिहास-

- 1.मु0अ0सं0 58/2011 धारा 395/397/412 भादवि, 2.मु0अ0सं0 78/2011 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट 3.मु0अ0सं0 431/2012 धारा 110 G द0प्र0सं0, 4.मु0अ0सं0 444/2012 धारा 3 / 4गुण्डा एक्ट, 5.मु0अ0सं0 7770/2004 धारा 395 भादवि

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1.SO श्री संजय कुमार थाना कसया जनपद कुशीनगर
- 2.उ0नि0 श्री रामचन्द्र सिंह यादव थाना कसया जनपद कुशीनगर
- 3.उ0नि0 श्री रविन्द्र यादव थाना कसया जनपद कुशीनगर
- 4.नि0 श्री आनन्द कुमार गुप्ता सर्विलांस सेल कुशीनगर
- 5.उ0नि0 श्री अमित शर्मा स्वाट टीम कुशीनगर
- 6.उ0नि0 श्री राघवेन्द्र सिंह स्वाट टीम कुशीनगर

- 7.हे0का0 मुबारक अली स्वाट टीम कुशीनगर
- 8.हे0का0 सुशील सिंह सर्विलांस टीम
- 9.का0 रणजीत यादव स्वाट टीम कुशीनगर
- 10.का0 चन्द्रशेखर यादव स्वाट टीम कुशीनगर
- 11.का0 शशिकेस गोस्वामी स्वाट टीम कुशीनगर
- 12.का0 विनोद कुमार यादव स्वाट टीम कुशीनगर
- 13.का0 कृष्ण मोहन कुशवाहा स्वाट टीम कुशीनगर
- 14.का0 चन्द्रभान वर्मा सर्विलांस सेल कुशीनगर
- 15.का0 अभिषेक कुमार यादव सर्विलांस सेल कुशीनगर
- 16.का0 विनय यादव थाना कसया जनपद कुशीनगर
- 17.का0 बलराम यादव थाना कसया जनपद कुशीनगर
- 18.का0 विशाल यादव थाना कसया जनपद कुशीनगर
- 19.का0 शिवबदन यादव थाना कसया जनपद कुशीनगर
- 20.का0 धीरज कुमार थाना कसया जनपद कुशीनगर
- 21.का0 अनिल कुमार थाना कसया जनपद कुशीनगर
- 22.म0का0 शिखा सिंह थाना कसया जनपद कुशीनगर
- 23.म0का0 शालिनी पाण्डेय थाना कसया जनपद कुशीनगर
- 24.का0 विकास यादव थाना कसया जनपद कुशीनगर
- 25.का0 विश्वनाथ थाना कसया जनपद कुशीनगर

तस्करी कर वध हेतु ले जाये जा रहे 58 राशि गोवंश पशु बरामद कर 06 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 21.01.2021 को थाना पटहेरवा पुलिस टीम द्वारा स्थान पटहेरिया चौराहा के पास से तस्करी कर वध हेतु ले जाये जा रहे दो अदद ट्रक संख्या UP 62 BT 2613 से कुल 32 राशि गोवंश (27 राशि जिन्दा व 05 राशि मृत पशु) तथा ट्रक संख्या UP 50 शेष नम्बर मिटा हुआ से 26 राशि गोवंश(22 राशि जिन्दा व 04 मृत पशु) पशुओं जिनमें गाय तथा बैल बरामद कर अभियुक्त गण 1. रवि कुमार पुत्र दिलमोहन उम्र 25 वर्ष रथेराशन थाना फूलपुर जिला आजमगढ़ 2.सुहबन अंसारी पुत्र फरीद अंसारी उम्र 25 वर्ष सा0 सोफीगढ़ थाना अहिरौला जिला आजमगढ़ 3.अबुसाद अंसारी पुत्र मो0 अनीष उम्र 30 वर्ष सा0 बैरीडीह थाना दीगरगंज जिला आजमगढ़ 4.करिया अंसारी पुत्र मैनुद्दीन उम्र 25 वर्ष सा0 लवहनी थाना महाराजगंज जिला आजमगढ़ 5.सुमेव अंसारी पुत्र वाहिद उम्र 25 वर्ष सा0 सोफीगढ़ थाना अहिरौला जिला आजमगढ़ 6.गुफरान अंसारी पुत्र मिस्टर अंसारी सा0 सोफीगढ़ थाना अहिरौला जिला आजमगढ़ को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 37/21 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है तथा गोवंशीय पशुओं को कुपोषित परिवारों को सुपुर्दगी में दिया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम -

- 1.रवि कुमार पुत्र दिलमोहन उम्र 25 वर्ष रथेराशन थाना फूलपुर जिला आजमगढ़
- 2.सुहबन अंसारी पुत्र फरीद अंसारी उम्र 25 वर्ष सा0 सोफीगढ़ थाना अहिरौला जिला आजमगढ़
- 3.अबुसाद अंसारी पुत्र मो0 अनीष उम्र 30 वर्ष सा0 बैरीडीह थाना दीगरगंज जिला आजमगढ़
- 4.करिया अंसारी पुत्र मैनुद्दीन उम्र 25 वर्ष सा0 लवहनी थाना महाराजगंज जिला आजमगढ़
- 5.सुमेव अंसारी पुत्र वाहिद उम्र 25 वर्ष सा0 सोफीगढ़ थाना अहिरौला जिला आजमगढ़
- 6.गुफरान अंसारी पुत्र मिस्टर अंसारी सा0 सोफीगढ़ थाना अहिरौला जिला आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1.प्रभारी निरीक्षक श्री अतुल्य कुमार पाण्डेय थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर
- 2.व0उ0नि0 श्री राजेश थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर
- 3.उ0नि0 श्री राजेश कुमार थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर
- 4.हे0का0 मेराज अहमद थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर
- 5.हे0का0 अखिलेश सिंह थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर
- 6.का0 जितेन्द्र गोस्वामी थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर
- 7.का0 श्रवण यादव थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर
- 8.का0 छोटेलाल यादव थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर
- 9.का0 श्याम सुन्दर यादव थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर
10. का0 सूरज गिरी थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर
11. का0 चन्द्रमा मौर्य थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर
12. का0 जितेन्द्र पाल थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर

अवैध शराब बिक्री/निष्कर्षण/परिवहन में कार्यवाही-(कुल-01)

थाना को0 हाटा -

थाना हाटा पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त गुड्डू प्रसाद पुत्र लालजी प्रसाद साकिन पिपरा कपूर थाना कोतवाली हाटा जनपद कुशीनगर को 20 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर अन्तर्गत मु0अ0सं0 28/2021 धारा 60 आबकारी अधि0 में पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

वांछित में की गयी कार्यवाही-(कुल-1)

थाना विशुनपुरा-

थाना विशुनपुरा पुलिस टीम द्वारा एक नफर वांछित अभियुक्त उमेश कुशवाहा पुत्र सुदामा कुशवाहा साकिन पडरौन मडुरही थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अन्तर्गत मु0अ0सं0 12/21 धारा 376,342,504,506 भादवि में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 15 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में =

- 1.मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-141 वाहन।
- 2.107/116 जा0फौ0 में की गयी कार्यवाही-मु0-37, व्यक्ति-133
- 3.आबकारी अधि0 में की गयी कार्यवाही -मु0-01, अभि0-01,बरामदगी-20 ली0 अवैध कच्ची शराब 4.वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(कुल-02)
- 4.वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(कुल-05)
- 5.गोवध अधि0 में की गयी कार्यवाही - मु0-01. अभि0-06 बरामदगी- दो अदद ट्रक वाहन से 58 राशि गोवंश पशु बरामद।
- 6.जनपद में कुल गिरफ्तारी -(कुल-27)।

**मीडिया सेल
जनपद कुशीनगर**